

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू

प्रधान कार्यालय, इन्दिरा नगर, झुंझुनू

फोन न. 01592-237366, 232658, 235725

फैक्स न. 01592-232213

(आयोजना एवं विकास अनुभाग)

क्रमांक :-जेकेएसबी/फा.()/आवि./2015-16/

दिनांक :-

बैंक द्वारा उपलब्ध करवायी जाने वाली ग्राहक सेवाओं पर लागू सेवा प्रभार की दरें लागू

दिनांक 05.09.2015

क्र.स.	सेवा क्षेत्र	प्रभावी सेवा दरें
1	चालू खाता	
1)	फोलिया चार्ज	प्रत्येक अर्द्धवर्ष (सितम्बर एवं मार्च) पर 100/-
2)	न्यूनतम शेष	रु. 1000/-
3)	न्यूनतम शेष चूक पर	प्रत्येक त्रैमास पर 100/- जो मार्च माह में नामे किये जावेगें
4)	चैक बुक चार्ज	60 पन्ने तक की चैक का कोई चार्ज नहीं उसके पश्चात प्रति चैक 3/- नामे किये जावेगें।
5)	एक वर्ष के भीतर खाता बंद करने पर	क्लोजर चार्ज रु. 100/-
6)	चैक का स्टॉप पेमेण्ट	प्रति चैक 50/- रु. अधिकतम 200/-
7)	स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउण्ट	प्रथम बार निःशुल्क। डूप्लीकेट स्टेटमेन्ट हेतु 50/- प्रतिपेज वसूल किये जावेगें।
2	बचत खाता	
1)	न्यूनतम शेष	चैक बुक सहित रु. 1000/- चैक बुक रहित रु. 500/- नो फ़िल खातों में शुन्य
2)	पास बुक	प्रथम बार - निशुल्क, डूप्लीकेट पास बुक 50/-
3)	स्टेटमेन्ट ऑफ अकाउण्ट	पास बुक के अलावा स्टेटमेन्ट प्राप्त करने हेतु रु. 50/- प्रति पेज वसूल किये जावेगे।
4)	प्रिक्लेजर अकाउण्ट (12 माह के भीतर)	100/- वसूल किये जावेगें।

5)	स्टॉफ पेमेन्ट चार्ज	50 / - रु. प्रति चैक / अधिकतम 200 / -
3	सीसी लिमिट ऋण खाते (समितियों) सहकारी संस्थायें	
1)	प्रोसेसिंग फीस	शुन्य
2)	स्टेटमेन्ट ऑफ अकाउण्ट	शुन्य
3)	नवीनीकरण चार्ज	शुन्य
4)	चैक बुक चार्ज	शुन्य
5)	फोलियो चार्ज	शुन्य
4	सीसी लिमिट ऋण खाते (व्यक्तिगत / व्यापारिक संस्थाएँ)	
1)	प्रोसेसिंग फीस	0.50 प्रतिशत स्वीकृत साख सीमा राशि का
2)	नवीनीकरण चार्ज	0.25 प्रतिशत नवीनीकृत साख सीमा राशि का
3)	फोलियो चार्ज	100 / - प्रति पेज
4)	चैक बुक चार्ज	60 चैक निशुल्क तत्पश्चात प्रति चैक 3 / -
5)	चैक स्टॉप चार्ज	50 / - रु. प्रति चैक / अधिकतम 200 / -
6)	स्टेटमेन्ट ऑफ अकाउण्ट	प्रथम बार निशुल्क, डुप्लीकेट स्टेटमेन्ट के लिए 50 / - प्रतिपेज
5	कृषक मित्र ऋण योजना	
1)	प्रोसेसिंग फीस	शुन्य
2)	नवीनीकरण फीस	प्रति वर्ष 100 / - नवीनीकरण चार्ज
6	किसान संबल / सहकार किसान कल्याण योजना	
1)	प्रोसेसिंग फीस	0.50 प्रतिशत स्वीकृत राशि का या 500 / - जो दोनो में कम हो
7	समस्त प्रकार के कृषि / अकृषि ऋण (व्यक्तिगत / संस्थाएँ) (सहकारी समितियों को छोड़कर प्रोसेसिंग फीस)	0.50 प्रतिशत स्वीकृत ऋण राशि का
8	प्रोसेसिंग फीस से मुक्त ऋण खाते	
1)	शिक्षा ऋण	
2)	स्वयं सहायता समूह / संयुक्त दायित्व समूह ऋण	
3)	कृषक मित्र योजना	

9	एन.एस.सी./के.वी.पी. के विरुद्ध ऋण	100/- प्रति छः माह सितम्बर व मार्च में नामे किये जावेगें।
10	लॉकर किराया	
1)	सबसे छोटी साईज	रु. 500/- प्रति वर्ष
2)	द्वितीय साईज	रु. 750/- प्रति वर्ष
3)	तृतीय साईज	रु. 1000/- प्रति वर्ष
4)	चतुर्थ साईज	रु. 1500/- प्रति वर्ष
5)	सबसे छोटी साईज	रु. 2000/- प्रति वर्ष
11	चैक कलेक्शन/डीडी जारी करने/डुल्पीकेट डीडी/एफडी एवं आरडी जारी करने आदि सेवाओं के लिए पूर्व निर्धारित दरें लागू रहेगी।	
12	बैंक गारण्टी चार्जेज	गारण्टी राशि का 2 प्रतिशत वार्षिक दर से कमीशन वसूल किया जावेगा। जो न्यूनतम रु. 500/- होगा।

प्रबन्ध निदेशक